

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 05 / 2025

दायर दिनांक : 10 / 02 / 2025

निर्णय दिनांक : 16 / 06 / 2025

उनवान

- 1 गजराज सिंह पिता पृथ्वीसिंह निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 गायत्री कुंवर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 2 म्हालाद पिता हेमसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 3 मदनसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 4 म्मता कुंवर पत्नी स्व0 लादूसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी स0 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, हस्ताक्षर किए गए। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख निरीक्षक, कांकरवा** को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **खाता स0 428 के आ.सं. 2369/336 रकबा 0.12 है0, आ.सं. 333 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 रकबा 0.49 है0 एवं खाता स0 53 के आ0स0 2475/318 रकबा 0.07 है0 आ0स0 318 रकबा 0.16 है0 आ0स0 319 रकबा 0.10 है0 आ0स0 337 रकबा 0.15 है0 आ0स0 338 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 रकबा 0.63 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर